ऑन लाईन नं.RCMS2023/241

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 92/2023

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री राहुल मुंजराल पुत्र श्री वेदप्रकाश —विक्रेता व मालिक—
मै0 श्री हरि मिष्ठान भडार, 163 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांक : 20.10.2023

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता , खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.03.2022 को बाद दोपहर पूर्व 11.30 ए.एम. का **मै0** श्री हरि मिष्ठान भण्डार, 183 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता **राहुल मुंजराल पुत्र श्री वेदप्रकाश** (विक्रेता व मालिक) को अपना परिचय देकर दुकान के अन्दर 8 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **पतीसा मिठाई** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का विक्रेता एवं मालिक होना बताया तथा दुकान में 8 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **पतीसा मिठाई** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **पतीसा मिठाई** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **पतीसा मिठाई** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे **राहुल मुंजराल पुत्र श्री वेदप्रकाश** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक **राहुल मुंजराल पुत्र श्री वेदप्रकाश** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **पतीसा मिठाई** 2 किलोग्राम विक्रेता से तय कीमत पर खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **पतीसा मिठाई** का नगद भुगतान 160/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **पतीसा मिठाई** 2 किलोग्राम को बराबर भागों में बांटकर साफ–सुथरे व सूखे 4 डिब्बों में भरकर ढक्कन को कसकर बनंद किया। प्रत्येक डिब्बे में 40–40 बूंदे फोरमेलिन की डालकर ढक्कन कसकर बन्द किया और चारों डिब्बों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1442** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1442** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **राहुल मुंजराल पुत्र श्री वेदप्रकाश** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–L.S./410/Act/2023/410 Dated 25-03-2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1442 Sub-Standard-Food as extracted oil does not conform the standard of Cottonseed oil** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **राहुल मुंजराल पुत्र श्री वेदप्रकाश** मैसर्स हरि मिष्ठान भण्डार, 183 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **पतीसा मिठाई** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 24.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी रवि चौंक पुरानी आबादी, वार्ड नम्बर 06, तहसील व जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स हरि मिष्ठान भण्डार, दुकान नम्बर 163 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 23/2369 दिनांक का दिया है कि आपकी दुकान में **पतीसा मिठाई** की जांच की गई तो पतीश मिठाई **Sub-Standard-Food as extracted oil does not conform the standard of Cottonseed oil** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **पतीसा मिठाई** में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। आपकी अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **पतीसा मिठाई** का सैम्पल **K-1442** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–L.S./410/Act/2023/410 Dated 25-03-2021 द्वारा **Sub-Standard-Food as extracted oil does not conform the standard of Cottonseed oil** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी मैसर्स हरि मिष्ठान भण्डार, दुकान नम्बर 163 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 23/2369 दिनांक का दिया है कि आपकी दुकान में **पतीसा मिठाई** की जांच की गई तो **पतीश मिठाई** **Sub-Standard-Food as extracted oil does not conform the standard of Cottonseed oil** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **पतीसा मिठाई** में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। आपकी अति कृपा होगी।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया **Sample of "Patisa Miathai (Made in Cottonseed Oil)" bearing Code No and Sr. No. K-1442, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as extracted oil does not conform the standard of Cottonseed oil as prescribed in Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **राहुल मुंजराल पुत्र श्री वेदप्रकाश** एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **राहुल मुंजराल पुत्र श्री वेदप्रकाश** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 25,000--00 (अखरे रूपये पच्चीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **राहुल मुंजराल पुत्र श्री वेदप्रकाश** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर